

विकल्प पत्र

1.	नाम	-	अनिल कुमार-VII(ANIL KUMAR-VII)
2.	वर्तमान पदनाम	-	अपर सिविल जज(सी०डि०) एटा
3.	वेतनमान	-	J3 111000 -163030/-
4.	वर्तमान विभाग का नाम	-	न्याय विभाग
5.	राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	-	लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
6.	विज्ञप्ति की तिथि	-	15 नवम्बर 2003 (विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003)
7.	विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	-	26 मई 2006(उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग-4) संख्या-2430/ दो-4-06-32(1)/2001 टी०सी०-1
8.	योगदान की तिथि	-	16 जून, 2006
9.	जन्म तिथि	-	28 नवम्बर, 1977
10.	सेवा निवृत्ति की तिथि	-	30 नवम्बर, 2037

मैं अनिल कुमार-VII पुत्र श्री सलेक चन्द शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना(X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर

नाम अनिल कुमार-VII

पदनाम अपर सिविल जज(सी०डि०) एटा

घोषणा पत्र

मैं अनिल कुमार-VII पदनाम अपर सिविल जज(सी०डि०) एटा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम अनिल कुमार-VII

पदनाम अपर सिविल जज(सी०डि०) एटा

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री अनिल कुमार-VII पदनाम अपर सिविल जज(सी०डि०) एटा को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) नवीन पेंशन योजना(X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

**Distnt Judge
Etah**

04.09.2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।